मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक / 1915 / 2017 / 26–2 / 1341 भोपाल,दिनांक 29/9/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य,
   आई.टी.आई.
   भोपाल / जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर / सागर /
   रीवा / उज्जैन (मध्यप्रदेश)

विषयः– प्रदेश के आई.टी.आई. में प्रवेशित शत–प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित निःशक्त छात्र–छात्राओं के लिए आवास सहायता योजना 2017

––0––

प्रदेश में निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 प्रभावशील है। अधिनियम के अध्याय–5 धारा 27 (1) के प्रावधान अनुसार दिवयांगजनों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाना हैं। मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग प्रदेश के निःशक्तजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु दृढ़संकल्पित है।

2. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के लिए कौशल उन्नयन हेतु आई.टी.आई. में प्रशिक्षण व्यवस्था करने के संबंध में की गई घोषणा के परिपालन में म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की नवीन योजना को वित्तीय व्यय समिति की बैठक दिनांक 12–02–2016 में प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रारम्भ करने की स्वीकृति संचालक, कौशल विकास संचालालय, जबलपुर को परिपत्र क्रमांक / 681 / 634 / 2016 / 42–2 दिनांक 25–04–2016 द्वारा प्रदान की गई है।

3. प्रदेश के 07 आई.टी.आई. में अध्ययनरत शत–प्रतिशत दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित दिव्यांगजनों को विगत वर्ष 2016–17 के शैक्षणिक सत्र में छात्रावास व्यवस्था, भोजन एवं परिवहन इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

4. आई.टी.आई. में प्रवेशित शत–प्रतिशत दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित दिव्यांगजनों को नवीन शैक्षणिक सत्र 2017–18 में अध्ययन हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हो इस हेतु आई.टी.आई. में प्रवेशित शत–प्रतिशत दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु नवीन आवास सहायता योजना 2017 तैयार की गई है। मार्गदर्शिका की प्रति संलग्न है।

5. इस योजना में 7 संभाग स्तर की आई.टी.आई. में प्रवेशित विद्यार्थी को आवास सहायता योजना के तहत भोजन एवं आवास के लिए ₹ 4,000/– की अधिकतम पात्रता होगी तथा आई.टी.आई. के छात्रावास में यदि दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्राप्त होती है तो उन्हें केवल भोजन एवं आवास के लिए ₹ 2,000/– प्रतिमाह की पात्रता होगी।

अतः आवास सहायता योजना 2017 में उल्लेखित कंडिकाओं के तहत जिले के पात्र शत–प्रतिशत दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार

(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन
भोपाल, दिनांक/ 29/9/17

पृ.क्रमांक/1915/2017/26–2/1342

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, 1250 तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आयुक्त,ग्वालियर/उज्जैन/भोपाल/इन्दौर/रीवा/सागर/जबलपुर संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन

विषयः— आई.टी.आई. में प्रवेशित शत—प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित निःशक्त छात्र—छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना, 2017

——0——

निःशक्त व्यक्तियों के कौशल उन्नयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रवणबाधित निःशक्त व्यक्तियों के लिए 10 संभाग स्तरीय आई.टी.आई. में प्रशिक्षण व्यवस्था करने के संबंध में की गई घोषणा के परिपालन में म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की नवीन योजना को वित्तीय व्यय समिति की बैठक दिनांक 12—02—2016 में प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त वित्तीय वर्ष 2016—17 में प्रारम्भ करने की स्वीकृति संचालक, कौशल विकास संचालालय, जबलपुर को परिपत्र क्रमांक/681/634/2016/42—2 दिनांक 25—04—2016 द्वारा प्रदान की गई है।

योजना का नाम—

आई.टी.आई. के विशेष ट्रेडस में शत—प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित निःशक्त छात्र—छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना 2017

योजना का उद्देश्य—

2. शत—प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का आई.टी.आई. संस्थाओं में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में बहुत कम एवं चुनौती पूर्ण है। इन विद्यार्थियों का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के विधार्थियों के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि निःशक्त छात्र—छात्राएं आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर शत—प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिये आवास सहायता योजना तैयार की गई है, जो निम्नानुसार हैः—

3. **योजना का स्वरूप एवं क्रियान्वयन—**

3.1 शासकीय आई.टी.आई. में प्रवेशित शत—प्रतिशत दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों के हितार्थ योजना प्रदेश के 07 संभाग यथा—इन्दौर/भोपाल/उज्जैन/रीवा/जबलपुर/सागर एवं ग्वालियर में संचालित होगी ।

3.2 आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को नियमानुसार पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को आवास सहायता प्रदान की जायेगी।

4. पात्रता

4.1. शत–प्रतिशत ऐसे दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यार्थी जो आई.टी.आई. में नियमित प्रवेशित है तथा अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश प्राप्त नहीं किया हो, वे आई.टी.आई. में अध्ययनरत होकर आवास सहायता योजना के पात्र होंगे ।

4.2 आय सीमा का कोई बंधन नहीं होगा ।

4.3 अन्य किसी शासकीय विभाग से सहायता प्राप्त नहीं की हो ।

4.4. आई.टी.आई. में प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथियों तक प्रवेश लेने वाले एवं आवेदन देने वाले शत–प्रतिशत दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यार्थी योजना के तहत पात्र होंगे ।

4.5 गृह निवास से बाहर आई.टी.आई. से प्रशिक्षण निरंतर रखने हेतु भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा एवं सागर में राशि ₹ 4,000/–प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि भोजन, आवास आदि के लिए होगी।

4.6. निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि निःशक्त विद्यार्थियों को स्वयं के स्त्रोतों से वहन करनी होगी। विभाग द्वारा अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

4.7 प्राचार्य, आई.टी.आई. द्वारा उपलब्ध कराये गये छात्रावास में शत–प्रतिशत दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यार्थी को केवल ₹ 2,000/– प्रतिमाह प्रति छात्र भोजन व अन्य व्यय की पात्रता होगी।

4.8 यह सहायता केवल एक वर्षीय अथवा द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिस प्रकार का ट्रेड हो, शत–प्रतिशत दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक अवधि के लिए जीवनकाल में एक बार पात्रता होगी।

5. **स्वीकृति के अधिकार–**

5.1 शत–प्रतिशत दृष्टि एवं श्रवणबाधित छात्र–छात्राओं द्वारा जिस स्थान/संभाग के आई.टी.आई. में नियमित अध्ययन किया जा रहा है उस स्थान पर विद्यार्थी के पालक का आवासीय निवास न होने का प्रमाण–पत्र /पालक का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

5.2 शत–प्रतिशत दृष्टि एवं श्रवणबाधित छात्र–छात्राओं को शपथ पत्र एवं मकान मालिकों की सहमति पत्र के आधार पर स्वीकृति के अधिकार, शासकीय आई.टी.आई. के प्राचार्य को होंगे ।

5.3 प्राचार्य, राशि की मांग हेतु जिले के संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को प्रस्ताव प्रेषित करेंगें तथा विभागीय जिला अधिकारी द्वारा राशि आई.टी.आई. के प्राचार्य को 6–6 माह की अग्रिम राशि उपलब्ध करायेंगे। प्राचार्य, निःशक्त विद्यार्थियों की उपस्थिति के आधार पर राशि प्रतिमाह निःशक्त विद्यार्थी के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

6. **भुगतान की प्रकिया–**

6.1 शत–प्रतिशत दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों को आवास सहायता पाठ्यकम की कालावधि के लिए जीवन में केवल एक बार ही देय होगी।

6.2 लाभार्थी निःशक्त विद्यार्थी मकान मालिक को किराये का भुगतान एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से करेंगे ।

6.3 आधार आधारित बैंक अकाउन्ट में डी.बी.टी. योजना के अंतर्गत राशि विद्यार्थियों के खाते में स्थानांतरित की जावेगी ।

6.4 स्वीकृत राशि 6–6 माह के अंतराल में दो किश्तों में प्राचार्य, आई.टी.आई. को जिला विभागीय अधिकारी द्वारा देय होगी । प्राचार्य, निःशक्त विद्यार्थियों की उपस्थिति के आधार पर राशि प्रतिमाह निःशक्त विद्यार्थी के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

7. **वित्तीय व्यवस्था**

म.प्र.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2006 द्वारा राज्य निराश्रित निधि का गठन संबंधी अधिसूचना जारी गई है। अतः निराश्रित निधि में संग्रहित ब्याज की राशि से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी।

(राजश्री राय) संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश	(रजनी शुक्ला) संयुक्त संचालक (वित्त) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

आई.टी.आई. में प्रवेशित शत–प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित छात्र–छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना वर्ष 2017

आवेदन पत्र

विकलांगता दर्शाता छात्र/छात्रा का नवीनत फोटो

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम–.....................................
2. पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नाम–.....................................
3. माता का नाम...
4. स्थायी निवास का पूरा पता (मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)...........................
   ....
5. समग्र आई.डी.नम्बर ....
6. आधार नम्बर ....
7. निःशक्तता का प्रकार (निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करें)................................
8. छात्र/छात्रा की जन्मतिथि–(अंकों में) ....
9. अध्ययनरत छात्र/छात्रा के प्रशिक्षण संस्थान का नाम..
   ....
10. छात्र/छात्रा के ट्रेडस का नाम एवं प्रवेश का दिनांक..
11. छात्र/छात्रा का वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का स्पष्ट उल्लेख करें तथा जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें–...........
12. विगत वर्ष में छात्र/छात्रा द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम (अंकसूची संलग्न करें)...
    ....

11. छात्र/छात्रा के माता/पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)–₹...
12. मकान मालिक का सम्पूर्ण विवरण.......................
    नाम...
    पूर्ण पता ....
    मोबाइल नम्बर ....
    सहमति पत्र ....

19

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है, कोई भी असत्य ज़ानकारी पायी जाने पर मुझे उक्त लाभ से वंचित किया जा सकेगा। मेरे द्वारा शासन के नियम/निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है। आवास योजना 2017 में दर्शायी गई सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
छात्र/छात्रा का पूरा नाम
....

हस्ताक्षर
पिता/पालक/अभिभावक का नाम
....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण–
(1)...(2)...(3)...
(4)...(5)...(6)...

संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण एवं कार्यालयीन उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा(श्री/कुमारी).................................... ....आत्मज श्री/श्रीमती...को आई.टी.आई.संस्थान ....में दिनांक........................ को ट्रेड्स................. ....में नियमित रूप से प्रवेश दिया गया है। छात्र/छात्रा का व्यवहार/चरित्र उत्तम है तथा उसे आई.टी.आई.संस्थान अथवा अन्य किसी संस्थान में छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। छात्र/छात्रा को आवास सहायता योजना का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

स्थान :
दिनांक :

संस्था प्रमुख का नाम तथा
हस्ताक्षर एवं मद मुद्रा सहित

नोटः– आवेदन अमान्य करने की स्थिति में स्पष्ट कारण सहित टीप अंकित हो।

<u>संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालयीन उपयोग हेतु</u>

श्री / कुमारी...आत्मज श्री / श्रीमती.................. ....संस्था प्रमुख की अनुशंसा के आधार पर आवास योजना में प्रवेश की पात्रता होने के कारण आवास का स्थान एवं पता (आवास गृह योजना) ....में दिनांक.......................................से प्रवेश दिया जाता है।

नोट–आवेदन पत्र अमान्य करने की स्थिति में स्पष्ट कारण / टीप अंकित करें..................
....
....

स्थान–
दिनांक

हस्तक्षार, नाम एवं पदमुद्रा सहित
संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
संभाग........................